प्रेस विज्ञप्ति

29.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ में 28.03.2024 को मंजीत कौर और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विजय पाल सिंह और परदीप बैदवान से संबंधित आवासीय फ्लैट के रूप में 86.18 करोड़ लाख रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने आरोपी मंजीत कौर और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर एलईए, चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मंजीत कौर ने खुद को राज्यपाल की करीबी सहयोगी और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, यूटी प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करके कई पीड़ितों को लालच दिया और दावा किया कि वह प्रशासक, यूटी, चंडीगढ़ द्वारा चंडीगढ़ में विभिन्न कोटे जैसे विधवा कोटा, वरिष्ठ नागरिक कोटा आदि के तहत समर्पित संपत्तियों का पुनर्वितरण एवं नवीनीकरण के लिए गठित समिति में थी। इस बहाने, उसने बेईमानी से निर्दोष घर खरीदारों को प्रमुख स्थानों पर संपत्ति खरीदने के लिए फंसाकर कई निर्दोष लोगों को धोखा दिया है।

इसके अलावा, जांच के दौरान, विभिन्न शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए और उनके बैंक खाते के विवरणों का विश्लेषण किया गया। यह पता चला कि मंजीत कौर के बैंक खाते में प्राप्त आपराधिक आय, परदीप बैदवान (मंजीत कौर की बहू) और विजय पाल सिंह (मंजीत कौर के बेटे) के बैंक खातों में जा रही है। इसके अलावा, अपराध की आय का उपयोग ऋणों के पुनर्भुगतान, जिसमें संपत्ति के बदले ऋण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मोबाइल गैजेट्स की खरीद लिए गए ऋण शामिल थे।

पीएमएलए जांच के दौरान, अपराध की आय से संबंधित अचल संपत्ति की पहचान की गई और विजय पाल सिंह और परदीप बैदवान के नाम पर संपत्ति को कुर्क करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया।

आगे की जांच जारी है।